

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/चि.प्र./क्लिनिकल एस्टे0/2018/611

दिनांक 14/12/18

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
जयपुर प्रथम।

विषय :-हॉस्पिटल क्लिनिकल एक्ट के तहत जारी किये गये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन को नवीनीकरण करने का सम्बन्ध में।

संदर्भ:- मुख्य चिकित्सा एवं स्वा0 अधिकारी, जयपुर प्रथम के पत्र क्रमांक: सामान्य/एफ-95/2018/3652 दिनांक: 12.12.2018 के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में राज्य में क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लागू किया जा चुका है। परन्तु वर्तमान में भारत सरकार द्वारा चिकित्सालय हेतु मिनिमम स्टेण्डर्ड लागू नहीं किये गये हैं।

अतः अस्थायी रूप से ही रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जाना है। अस्थायी रजिस्ट्रेशन की अवधि एक वर्ष की होती है। चूंकि भारत सरकार द्वारा स्थायी रूप से रजिस्ट्रेशन करने हेतु मिनिमम स्टेण्डर्ड लागू नहीं किये गये हैं अतः जब तक मिनिमम स्टेण्डर्ड जारी नहीं किये जाते हैं तब तक अस्थायी रूप से ही रजिस्ट्रेशन का कार्य किया जावे तथा जिनकी अस्थायी रजिस्ट्रेशन की अवधि समाप्त हो गयी है उनका नियमानुसार शुल्क प्राप्त कर पुनः एक वर्ष की अवधि के लिये अस्थायी प्रमाण पत्र जारी करें। जिन चिकित्सा संस्थानों का अस्थायी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है उनके नाम स्थानीय अखबार में प्रकाशित करने हेतु प्रत्येक माह की 15 व 30 तारीख को निदेशालय की ईमेल आईडी ad-dir-ha@nic.in पर भिजवाना सुनिश्चित करें, ताकि निदेशालय स्तर पर प्रकाशन किया जाना संभव हो सके।

लैबोरीज के लिये भारत सरकार द्वारा स्टेण्डर्ड जारी कर दिये गये हैं अतः लैबोरीज का नियमानुसार अस्थायी/स्थायी करना सुनिश्चित करें।

सलगन:-

1. क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर चिकित्सा संस्थानों की सूचना हेतु प्रपत्र-अ।
2. क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पैथोलॉजिकल लैब की सूचना हेतु प्रपत्र-ब।
3. प्रभारित की जाने वाली फीस।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/चि.प्र./क्लिनिकल एस्टे0/2018/611

दिनांक 14/12/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, राजस्थान।
4. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को सम्बंधित को मेल कराना सुनिश्चित करावे।
6. रक्षित पत्रावली।

फिनाईल वेबसाइट पर अपलोड

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान, जयपुर

विकित्सा संस्थानों की सूचना के लिये

क्र.सं.	जिले का नाम	विकित्सा संस्थान का नाम	पूर्ण पता	मोबाईल नम्बर	शहरी/ग्रामीण/नगरीय	ईमेल आईडी	विकित्सा संस्थान के संबंधक/मातृक/निदेशक का नाम व मोबाईल नम्बर	मोबाईल नम्बर	वेड संख्या	आयुध की तिथि	रजिस्ट्रेशन नम्बर	रजिस्ट्रेशन का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्रपत्र-ब

पैथोलोजिकल लैब की सूचना के लिये

क्र.सं.	जिले का नाम	लैब का नाम	पूर्ण पता	मोबाईल नम्बर	शहरी/ग्रामीण/नगरीय	ईमेल आईडी	लैब का प्रकार (बैरिजिक, मीडियम, एडवान्सड)	लैब के टेकीशियन का नाम व मोबाईल नम्बर	पैथोलोजिकल का रजिस्ट्रेशन नम्बर	पैथोलोजिकल का नाम एवं मोबाईल नम्बर	डिग्री	आयुध की तिथि	रजिस्ट्रेशन नम्बर	रजिस्ट्रेशन का प्रकार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

(स्वार)
१/अ
स्थायी

27(16)

राजस्थान राज-पत्र, जून 6, 2013

भाग 4 (ग)

मैं व्यक्तिगत सुनवाई, यदि आवश्यक हो, के लिए आपके समक्ष उपस्थित होने के लिये राजामन्द हूँ। मैं इसके साथ रु. 5000/- का ड्राफ्ट संलग्न कर रहा हूँ।

स्थान :

दिनांक

धन्यवाद,

हस्ताक्षर :

नाम :

अनुसूची

(नियम 11 देखिए)

प्रभारित की जाने वाली फीस

विवरण	नगरीय		ग्रामीण		गहानगर	
	अन्तिम	स्थायी	अन्तिम	स्थायी	अन्तिम	स्थायी
बाह्य रोगी देखरेख	100	500	50	250	200	1000
अन्तरंग रोगी देखरेख						
1 से 30 विस्तर	100	500	50	250	200	1000
30 से 100 विस्तर	200	1000	100	500	400	2000
100 विस्तरों से अधिक	300	1500	150	650	600	3000

जांच और दिदान

प्रयोगशाला	200	1000	100	500	400	2000
नैदानिक और इमेजिंग केन्द्र	300	1500	150	650	600	3000

आव फीस :

- (i) नवीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस की रकम का आधा (अन्तिम/स्थायी)
- (ii) विलम्बित आवेदन के लिए नवीकरण फीस के साथ रजिस्ट्रीकरण (अन्तिम/स्थायी) के नवीकरण के लिए आवेदन फाइल करने की तारीख तक 100/- रुपये प्रतिदिन की विलम्ब फीस प्रभारित की जायेगी।
- (iii) प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए रकम 200/- रुपये होगी।
- (iv) रथापत्र के स्वामित्व पत्रों और नाम के परिवर्तन के लिए रकम 100/- रुपये होगी।
- (v) अन्य अपील के लिए रकम 5000/- रुपये होगी।